रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 1970/श्रावण 23, 1892
No. 149] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 1970/SRAVANA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 14th August 1970

G.S.R. 1178.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts film scrap, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) as in excess o 60 per cent *ad valorem*.

[No. 78/F. No. 21/5/70-Cus. I.]

I. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1178.—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा फिल्म स्क्रैप को जब वह भारत में आयात की जाए भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 60% मूल्यानुसार से अधिक्य में है ।

[सं० 78/फा० सं० 21/5/70-सी० शु० I]

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970